न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

करण संख्या
92/2024

दायर दिनांक
14.05.2024

निर्णय दिनांक
27.05.2024

उनवान

कमला देवी पत्नि मदनलाल बलाई जाति बलाई उम्र 42 वर्ष निवासी सालवी मोहल्ला रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज

कमला देवी पत्नि भैरूलाल बलाई जाति बलाई उम्र 48 वर्ष निवासी सालवी मोहल्ला रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज

रूकमा पत्नि भंवरलाल जाति बलाई उम्र 48 वर्ष निवासी सालवी मोहल्ला रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज

प्रार्थीगण

बनाम

गोपाल बलाई पुत्र हजारी बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज...

छोगा बलाई पुत्र घीसा बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज.

दुर्गालाल पुत्र हजारी बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज.

दुर्गालाल पुत्र हजारी बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज.

प्यारी बलाई पत्नि सोहन बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज

भुरा पुत्र घीसा बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज

कमलेश पुत्र लादु बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज

नारायण लाल पुत्र नगजी बलाई जाति बलाई उम्म्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज

मदन पुत्र मगना बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज

0. अमरचन्द पुत्र लालु बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

भुपेन्द्रसिह पुत्र नारायण सिंह राणावत उम्र – वयानक जाति राजपुत निवासी कारोई कला जिला भीलवाड़ा

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा राज.

–विपक्षीगण

स्थितः–अधिवक्ता प्राथी उदयसिंह दरोगा

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: <u>निर्णय</u> :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र र्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रतनपुरा प0ह0 कारोईकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कारोईकलां तहसील व जिला डा की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 44 की अभिलिखित आराजियात 1129, 1130, 1131 कुल किता 04 कुल रकबा 1.7071 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की दारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। गण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण द होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि ातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 उपस्थित नहीं। प्रार्थी वक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की दुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है र्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन । चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का लोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में कित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि ा रतनपुरा प0ह0 कारोईकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कारोईकलां तहसील व जिला वाडा की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 44 की अभिलिखित आराजियात 8, 1129, 1130, 1131 कुल किता 04 कुल रकबा 1.7071 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य दन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की थति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर न खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर कन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क ौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया र पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में ई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा